न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 48/2023, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

1. सीताराम पुत्र नत्था जाति मीना निवासी सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री राकेश कुमार मीना पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा।
2. भगवान सहाय पुत्र सुखराम
3. बाबूलाल पुत्र सुखराम
4. प्यारेलाल पुत्र सुखराम
5. ललचंद पुत्र सुखराम
6. श्रीकिशन पुत्र भगल्या
7. कैलाश पुत्र भगल्या

समस्त जाति बैरवा निवासी सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण विरूद्ध श्री राकेश कुमार मीना पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय बाबत मुकदमा वाद उनवानी सीताराम वगैरा बना भगवान सहाय वगैरा मु0नं0116/2023 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी सीताराम वगैरा बनाम भगवान सहाय वगैरा मु0नं0 86/2023

उपस्थिति : श्री सतीश कुमार पारीक अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।

: श्री सी0एल0 मीना अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः– 26.9.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी वादी ने अप्रार्थी सं0 2 लगायत 6 के विरूद्ध वाद उनवानी सीताराम वगैरा बनाम भगवान सहाय वगैरा मु0नं0 116/2023 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी सीताराम वगैरा बनाम भगवान सहाय वगैरा मं0नं0 86/2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष पेश कर रखे हैं। जिनमें पीठासीन अधिकारी द्वारा नजदीक नजदीक तारीख पेशीयां दी जा रही है। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण को अनुचित लाभ पहुँचाने की गरज से बिना प्रक्रिया पूर्ण किये ही फैसला करने पर आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय की कार्यप्रणाली से प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलक्टर सिकराय से प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। उपस्थित अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन उनवानी प्रकरण सीताराम वगैरा बनाम भगवान सहाय वगैरा में रूटीन की तारीख पेशी चल रही थी। परन्तु दिनांक 3.8.2023 से दो दो चार चार दिन की नजदीक नजदीक पेशियां दी गई है। पीठासीन अधिकारी महोदय अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण से सांठ गांठ कर उनको अनुचित लाभ पहुंचाने की गरज से बिना प्रक्रिया पूर्ण किये ही दावा एवं टी.आई तलबी की स्टेज पर होने के बावजूद फैसला करने पर आमादा है तथा नजदीक की तारीख पेशी दे दी गई है। प्रार्थीगण को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही फैसला करने पर आमादा है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त यह है कि पक्षकारो

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को जहां से न्याय की उम्मीद नहीं हो, वहां पर सुनवाई नहीं करवाई जाकर पत्रावली का अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया जाना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की कार्यप्रणाली से प्रार्थी को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार फरमाकर प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा मरे हुये व्यक्तियों के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में दावा पेश किया गया है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 बाबूलाल, अप्रार्थी संख्या 5 लालचन्द, अप्रार्थी संख्या 6 श्रीकिशन एवं अप्रार्थी संख्या 7 कैलाश की मृत्यू हो चुकी है। जिसकी पुष्टि उनको जारी नोटिस पर अंकित रिपोर्ट द्वारा होती है। उन्ही मृतको को पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में पेश कर दिया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है और स्थगन आदेश प्राप्त करने के तुरन्त बाद इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश कर दिया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी सिकराय से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार विचाराधीन प्रकरण में रूटीन तारीख पेशी दी गई है तथा नियमानुसार सुनवाई की जा रही है। प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोप निराधार एवं गलत होना व्यक्त करते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

हमने उपस्थित अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया दिनांक 5.7.2023 को उक्त उनवानी वाद सीताराम वगैरा बनाम भगवान सहाय वगैरा दर्ज कर अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया गया है। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता हाजिर हुये है। कुछ प्रतिवादियों की तामील होना शेष है। प्रतिवादियो की तामील हेतु जारी किये गये रजिस्टर्ड नोटिस वापिस लौटकर प्राप्त हो गये, जिन पर प्रतिवादी की मृत्यू हो जाना अंकित किया गया है। प्रार्थी द्वारा मृत पक्षकारो के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे मूल वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया है तथा इस न्यायालय में भी प्रार्थी द्वारा मृत पक्षकारो के विरूद्ध स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है, जिससे प्रार्थी का यह कथन कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी ने स्थगन आदेश लेकर तुरन्त स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। जिससे प्रार्थीगण की नियत साफ जाहिर है कि प्रार्थी प्रकरण का निस्तारण नहीं करवाकर प्रकरण को लम्बित रखना चाहता है तथा अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की नीयत से यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। मृत पक्षकारो के विरूद्ध प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में कोई औचित्यपूर्ण तथ्य/सबूत न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रार्थी द्वारा मृत पक्षकारो के विरूद्ध प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रस्तुत किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये जाने के तथ्य को मध्यनजर रखते हुये प्रकरण सारहीन होने के कारण प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी सिकराय को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार किया जाकर नम्बर से कम हो एवं पत्रावली बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजकुमार कस्वा)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 26.9.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा